फर्द अहकाम

स्वती देवी बनाम बाबूलाल कुमार वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 45/2022 TI

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/5/24	प्रोसेसिंग ऑफीसर ने / ... को है। अतः ... तिथि 28/6/24 को पेश हो।	
	28/6/24	प्र.क्र. 34/ बहस TI हेतु सुनिश्चित किया जाता है। सामग्रीगत बहस नहीं करके पेशी पर बहस नहीं करके पत्रावली का अवलोकन के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली बाबत बहस TI हेतु दिनांक 15/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दौसा (जयपुर)	
	15/7/24	प्र.क्र. 34/ अधिवक्ता उभयपक्ष पत्रावली की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस के कथन किया गया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्ड के प्रार्थीया का खातेदार-काश्तकार है। प्रार्थीया का प्रा. पत्र सरकारी विपक्षीगण को स्वीकार कर ता. फैसला वाद स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी के बहस के कथन किया गया है कि वर्तमान प्रार्थीया के सह-खातेदारों [illegible] न्यायालय [illegible] अधिकारी चौथ के द्वारा [illegible] की अपील स्वीकार नामान्तरकरण संबंधित 248 दिनांक 22/6/2009 को निरस्त किया गया [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :– 45/2022 सन्तीदेवी बनाम सरोज कुमार वगै०

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		17. पश्चात्वर्ती क्रेता शून्य व बेअसर घोषित किये जा चुके है। लेकिन इस न्यायालय की अन्तरिम आज्ञा विपक्षीगण से क्रेता वर्तमान शासन विकास के नहीं हो सकते है। नामान्तरकरण अपील स्वीकार होने के उपरान्त किसी अपीलीय न्यायालय की अपील विचाराधीन होने कोई प्रति पेश नहीं की गई है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विचार। अन्तरिम के पक्ष के साबित होने प्रार्थिया का प्रार्थना आज्ञा विपक्षीगण का व्यापक फरमान जारी उल्लंघन आ. नि. किया जाया है। पत्रावली एवं उल्लेखो का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 01/11/14 को नामान्तरकरण अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण सेरीया 248 दिनांक 22/6/2009 निरस्त किया जाकर पश्चात्वर्ती क्रेता शून्य व बेअसर घोषित किये जा चुके है। उनके उपरान्त कोई अपील आदि की कोई प्रति पेश नहीं की गई है। जिससे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विचार प्रार्थिया के पक्ष में होता है। [illegible] का व्यापक पत्र [illegible] होता है। किया [illegible] पत्र अस्थायी रूप प्रार्थिया का [illegible] किया जाता है। विपक्षीगण का व्यापक पत्रावली फैसला शुरू होकर रूप नम्बरसे कम होने तथा हाईवाई दूर हो पूरा पाक के संलग्न है।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner